

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

क्रमांक:- सामान्य/2024/2

दिनांक :- 19-1-24

संशोधित आदेश

श्री चंद्रशेखर पारीक, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर ने अपने पत्र क्रमांक 19 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा दिनांक 21.01.2024 को विवाह कार्यक्रम में शामिल होने से बाहर जाना बताया है। श्री पारीक द्वारा दिनांक 21.01.2024 की रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा उक्त पत्र पर अपनी सहमति दिया जाना भी बताया है।

जिस पर इस कार्यालय के पूर्ववर्ती आदेश क्रमांक सामान्य/2023/48 दिनांक 22.11.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 21.01.2024 को श्री चंद्रशेखर पारीक, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर के स्थान पर श्री अजय कुमार पूनियां, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर, मो.नं. 9413969177 की रिमाण्ड, जमानत एवं प्रोटोकॉल आदि आवश्यक कार्य हेतु ड्यूटी लगाई जाती है।


उक्त अधिकारीगण न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा/प्रथम सूचना रिपोर्ट/ जमानत व अन्य अति-आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्न डिजिटल माध्यम से करेंगे-

Sr. No	Head Quarter Name	E-mail ID	Mobile No.
1.	Nohar	remandduty@gmail.com	8279082175 (ACJM Court)

शेष आदेश यथावत रहेगा।

नोट :-

1. अवकाश दिवस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा उस अवकाश के दिन प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व का भी निर्वहन किया जावेगा।
2. इस आदेश द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी अवकाश के दिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने के पूर्व तक नियमानुसार करेंगे और किसी भी अवकाश दिवस के तुरंत पूर्व/पश्चात् कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु उससे तुरंत पूर्व/पश्चात् अवकाश दिवस के लिए अधिकृत उक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही ड्यूटी/कर्तव्य का निर्वहन किया जायेगा।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

क्रमांक:- 31-39

दिनांक:- 19.1.24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा/संगरिया/नोहर/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर/हनुमानगढ़।
3. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ़।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/ भादरा/संगरिया
5. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़।

7. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ को प्रेषित कर लेख है कि हनुमानगढ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
8. प्रभारी अधिकारी वायरलेस केन्द्र हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि हनुमानगढ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
9. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को हनुमानगढ न्यायक्षेत्र की वेबसाईड पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
10. आदेश / संबंधित पत्रावली।

3

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ